सत्यमेव जयते

सं. एस-16012/02/2016-एसबीएम

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

****

चौथा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003, दिनांक 08 सितम्बर, 2016

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
प्रभारी, ग्रामीण स्वच्छता
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय :- ग्रामीण स्वच्छता सूचकांक और एसएलडब्ल्यूएम सूचकांक

महोदय/महोदया,

देश भर में गांवों की स्वच्छता को मापने और उनकी सफाई के स्तरों के अनुसार उनकी रैंकिंग करने का मामला भारत सरकार के पास कुछ समय से विचाराधीन रहा है। सभी स्तरों पर सफाई के बारे में जागरूकता बढ़ाना और गांवों, जीपी, ब्लॉक, जिलों और राज्यों के बीच सफाई की दिशा में प्रतिस्पर्धा की भावना जगाना भी आवश्यक है।

2. भौगोलिक क्षेत्रों में सफाई को मापने हेतु आवश्यक कारकों की पहचान करने के लिए एक विस्तृत सांख्यिकी विश्लेषण किया गया। यह विश्लेषण देश के 75 जिलों में 70,000 से अधिक परिवारों के व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित था। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर और तिरूवनन्तपुरम में 15 जुलाई और 16 जुलाई, 2016 को तथा जयपुर में 22 अगस्त, 2016 को आयोजित कार्यशालाओं के दौरान फील्ड के विभिन्न विशेषज्ञों से विस्तृत विचार विमर्श और राज्य सरकारों से परामर्श के बाद स्वच्छता सूचकांक और एसएलडब्ल्यूएॅम (ठोस एवम तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रवंधन) सूचकांक को निम्नवत परिभाषित करने का निर्णय लिया गया है:-

स्वच्छता सूचकांक (C)

$C = 0.4x_1 + 0.3x_2 + 0.2x_3 + 0.1x_4$ I

एसएलडब्ल्यूएम सूचकांक (S)

$S = 0.5x_2 + 0.33x_3 + 0.17x_4$ II

जहाँ ;

x_1 = सुरक्षित शौचालयों तक पहुँच वाले (और उपयोग करने वाले) परिवारों की प्रतिशतता

x_2 = उन घरों की प्रतिशतता जिनके परिसर के बाहर कोई कूड़ा नहीं है

x_3 = कूड़ा मुक्त सार्वजनिक स्थानों की प्रतिशतता

x_4 = उन घरों की प्रतिशतता जिनके घर के चारों ओर अपशिष्ट जल का जमाव नहीं है।

यह नोट किया जाए कि "C" इस बात को निरूपित करता है कि गांव में समग्र सफाई कितनी है और किस हद तक गांव के परिवारों की पहुँच सुरक्षित शौचालयों तक है और वे इसका उपयोग कर रहे हैं तथा पर्यावरणीय सफाई कितनी है। यह भी नोट किया जाए कि "S" पर्यावरणीय सफाई को निरूपित करता है जिसका साक्ष्य है घरों और सार्वजनिक स्थानों के चारों और कचड़े की अनुपस्थिति और घरों के चारों ओर ठहरे हुए अपशिष्ट जल की अनुपस्थिति। इसमें परिवारों की सुरक्षित शौचालयों तक पहुँच और उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाने से संबंधित कारक शामिल नहीं है। वास्तव में "S" को "C" से प्राप्त किया गया है।

3. अब सभी गांवों की सफाई का स्तर एमआईएस पर डालने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजन से, उन विभिन्न कारकों का आकलन करने के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना है जिनसे स्वच्छता सूचकांक और एसएलडब्ल्यूएम सूचकांक बनता है। उन क्षेत्रों के संबंध में जहां पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, राज्य सरकार ग्रामवासियों के एक उपयुक्त निकाय पर निर्णय ले सकती है जो उपर्युक्त कारकों का निर्धारण एक पारदर्शी तरीके से करेगा।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बड़ी आबादी वाले ग्राम पंचायतों के संबंध में उपर्युक्त ग्राम सभा आयोजित करने के लिए गांव के 20 लोगों की एक सभा पर्याप्त होगी जिसका एक सदस्य पंचायती राज संस्थाओं का एक निर्वाचित सदस्य होगा।

5. एमआईएस डाटा प्रविष्टि का स्क्रीन शॉट और ग्राम सभा बैठक के कार्यवृत्त का टेम्पलेट रेडी रेफ्रेंस के लिए संलग्न है। इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

6. यह सुझाव दिया जाता है कि कार्यवृत के टेम्पलेट को ग्राम पंचायतों और गांवों के उपयोग के लिए उनके साथ साझा करने से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए। जैसे ही इन कारकों के निर्धारण के लिए गांव अपनी ग्राम सभा आयोजित करता है, उक्त बैठक का कार्यवृत्त जीपी/ब्लॉक/जिला स्तर (राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित) पर एसबीएम (जी) कार्यान्वयन प्राधिकारियों को अग्रेषित किया जाना चाहिए जो इस जानकारी को एमआईएस पर अपलोड कर देंगे । यह नोट किया जाए कि अपलोड की जाने वाली जानकारी में ग्राम सभा के कार्यवृत्त की एक स्कैन प्रति भी शामिल होगी।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थिति में जब कभी परिवर्तन होगा, ग्राम सभा को सफाई संकेतक कारकों पर अपनी रिपोर्ट अद्यतन/संशोधित (प्रत्येक माह अधिकतम एक बार) करने की अनुमति होगी।

8. यह नोट किया जाए कि विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए एसएलडब्ल्यूएम सूचकांक के एक निश्चित स्तर से ऊपर के गांवों के राज्य स्तरीय आकलनों का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान इन्हीं सूचकांकों का प्रयोग किया जाएगा।

9. भारत सरकार की वेबसाइट और/अथवा एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए गांवों की स्वच्छता स्तरों की जन साधारण द्वारा रेटिंग के लिए इन्हीं कारकों का प्रयोग करेगी। इससे गांवों की सफाई के बारे में स्वतंत्र नागरिक रेटिंग भी उपलब्ध होगा।

10. सुझाव दिया जाता है कि सभी गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन और जानकारी को एमआईएस पर अपलोड करने का काम शीघ्र आरंभ कर दिया जाना चाहिए। अनुरोध किया जाता है कि सभी संबंधित को उपयुक्त अनुदेश तुरंत जारी किए जाएं ताकि सभी गांवों के लिए ग्राम स्तरीय स्वच्छता सूचकांक और एसएलडब्ल्यूएम सूचकांक पर स्व-घोषित आकलन एमआईएस पर 31 दिसम्बर, 2016 तक उपलब्ध हो सकें।

अनुलग्नक:- यथोपरि

आपका

सरस्वती प्रसाद

(सरस्वती प्रसाद)
अपर सचिव

प्रतिलिपि:-

समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.

ग्राम सभा के कार्यवृत्त का टेम्प्लेट

ग्राम.....ग्राम पंचायत.....ब्लॉक.....जिला .....की सफाई मानकों का मूल्यांकन करने के लिए को आयोजित ग्राम सभा की बैठक का कार्यवृत्त हमारे अवलोकन,जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम एक मत से घोषणा करते हैं कि :

1. सुरक्षित शौचालयों तक पहुँच (एवं इनका उपयोग करने वाले) वाले परिवारों की प्रतिशतता (.....) है।
2. उन घरों की प्रतिशतता जिनके परिसर के चारों ओर कूड़ा नहीं है (.....) है।
3. उन घरों की प्रतिशतता जिनके चारों और ठहरा हुआ अपशिष्ट जल नहीं है (.....) है।
4. कूड़ा मुक्त सार्वजनिक स्थानों की प्रतिशतता (.....) है।

ग्राम सभा बैठक में पीआरआई प्रतिनिधियों और गांव के अन्य निवासियों के नाम और हस्ताक्षर:

क्र.सं.	पीआरआई प्रतिनिधियों और अन्य सदस्यों के नाम (मोबाइल नम्बर के साथ)	हस्ताक्षर

ग्राम सभा बैठक आयोजित करने के लिए मार्गदर्शन

i) ग्राम सभा की बैठक में गांव का प्रतिनिधित्व करने वाले कम से कम 1 पीआरआई सदस्य और गांव के 20 अन्य निवासी को उपस्थित होना चाहिए।

ii) सुरक्षित शौचालय का अर्थ है सुरक्षित तकनीक वाला शौचालय जिसे निम्नवत परिभाषित किया गया है:

'सुरक्षित तकनीक विकल्प का अर्थ है सतही मिट्टी, भूजल अथवा सतही जल का संदूषण न हो; मल तक मक्खियों अथवा पशुओं की पहुँच न हो; नवीन मल की हैंडलिंग न हो, और दुर्गंध एवं भद्दी स्थिति से मुक्ति।'

iii) कूड़ा का अर्थ है- पशु मल सहित ठोस अपशिष्ट। इसमें निपटान हेतु ढके हुए कूड़ेदान में भण्डारित कचरा शामिल नहीं होगा। इसमें कृषि एवं अन्य उपयोग हेतु घर के परिसर के अंदर समुचित रूप से संग्रहित पशु का गोबर भी शामिल नहीं होगा।

iv) अपशिष्ट जल का अर्थ होगा-घरों से निकलने वाला भूरा (सलेज- वर्तन एवं कपड़े धोने से दूषित होने वाला जल) एवं काला पानी (सीवेज वाटर)। इसमें संचित वर्षा जल शामिल नहीं होगा।

v) सार्वजनिक स्थानों में शामिल होगा- अस्पताल, स्कूल, पंचायत भवन, समुदाय केंद्र, पूजा स्थल, बाजार आदि। कूड़ा रहित सार्वजनिक स्थानों की प्रतिशतता का आकलन करने के लिए गांव के सभी सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों के अंदर का क्षेत्र और इसकी परिमिति से 25 फीट तक का निरीक्षण किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सार्वजनिक स्थान में कोई कूड़ा है।

vi) घर की परिमिति से 10 फीट के अंदर के क्षेत्र का निरीक्षण किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या घरों के परिसरों के बाहर कोई कूड़ा है।

[C 16] Entry of Village Index

State Name	JHARKHAND	District Name	BOKARO
Block Name	BERMO	Panchayat Name	ARMO
Reporting Year	2016	Month in which Gramsabha meeting held	September

Sr No	Village Name	Percentage of HH having access(and using) to safe toilets	Percentage of HH having no litter outside their premises	Percentage of HH having no waste water stagnating around them	Percentage of public places having no litter	Upload Scan copy of the Minutes of Gramsabha Meeting	Date of Gramsabha meeting	Check To Update Data
1	ARMO	0	0	0	0	Choose file No f...osen		
2	GANDKE	0	0	0	0	Choose file No f...osen		
3	LUKUBAD	0	0	0	0	Choose file No f...osen		

Note :- Percentage should be an integer between 0 to 100.

Submit

Back to Menu